का॰ज्ञ॰सं॰ 14034/52/2000-रा0भा0 (प्रशि0)/2247, दिनांक 4 जुलाई, 2003

विषय: हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले परीक्षकों, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वालों आदि को दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक की मंजूरी।

हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले परीक्षकों, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वालों आदि को दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि करने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परीक्षाओं के आयोजन हेतु नियुक्त प्रश्न-पत्र तैयार करने वालों, परीक्षकों आदि को देय मानदेय/पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र॰सं॰	कार्य	मानदेय/पारिश्रमिक की दर
1.	प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ)	250/- रुपए प्रति प्रश्न-पत्र
2.	प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए (हिंदी टंकण/ आशुलिपि)	175/- रुपए प्रति प्रश्न-पत्र
3.	प्रश्न पत्रों की मॉडरेशन के लिए	80/- रुपए प्रति प्रश्न-पत्र
4.	प्रश्न पत्रों की प्रूफ रीडिंग के लिए (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं के टंकण/ आशुलिपि)	50/- रुपए प्रति प्रश्न-पत्र
5.	डिक्टेशन के लिए	80/- रुपए प्रति डिक्टेशन
6.	परीक्षा केंद्र अधीक्षक के लिए	100/- रुपए प्रति सत्र
7.	पर्यक्षकों के लिए	70/- रुपए प्रति सत्र
8.	परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त लिपिकों के लिए	50/- रुपए प्रति सत्र
9.	परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त चतुर्थ श्रे णी (ग्रुप "डी") कर्मचारियों के लिए	30/- रुपए प्रति स्पत्र
10.	मुख्य परीक्षक के लिए	150/- रुपए प्रति उप परीक्षक (उप परीक्षकों से प्राप्त जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जांच हेतु अथवा उन्हें दिए जाने वाले माडल उत्तर-पत्रों पर अतिरिक्त फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक उप परीक्षक को कम से कम 10 माडल उत्तर-पत्र दिए जाएंगे)

क्र॰सं॰	कार्य	मानदेय/पारिश्रमिक की दर
11.	उत्तर पुस्तिकाओं की जांच (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं टंकण/ आशुलिपि)	4.50/- रुपए प्रति प्रश्न-पत्र
12.	मौखिक परीक्षा के लिए	प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक उत्तर पुस्तिका की जांच के बराबर (कम से कम 50/- रुपए)
13.	परीक्षा परिणाम की सारणी तैयार करने के लिए	70/- रुपए प्रति 100 परीक्षार्थी
14.	परीक्षा परिणाम की क्रास-चैकिंग/मिलान के लिए	50/-रुपए प्रति 100 परीक्षार्थी

2. उपर्युक्त दरें इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन, वित्त II गृह मंत्रालय की अ॰ वि॰ टिप्पणी संख्या-एफ॰ 695/एफ ए (एच)/03, दिनांक 3 जून, 2003 के तहत दी गई सहमति से तथा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 22011/28/96-के॰हि॰प्र॰सं॰/2151, दिनांक 20.5.1996 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है।